न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

नवान .....गीतादेवी.....बनाम.....रामावतार.....

किस्म मुकदमा.....53.....मु0नं0.....158.....सन् 2020

ब हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
08/20	वादी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 29.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम	
29/9/20	वकुलाय फरीकेन [illegible] ने कार्य स्थगन किया हुआ है। [illegible] फाल्गुना में दि0 1.12.20 को [illegible]	
1/12/20	वकुलाय फरीकेन उप0खण्ड P.O. साहब टीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 16.2.20 को उनके समक्ष पेश हो।	
7/1/21	वादिया गण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश है। वादिया गीतादेवी व सेवाराम मय वकील उपस्थित। वादियागण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहती विड्रा करना चाहती है। वादिया की पहचान श्री दुलीचन्द यादव [illegible] को की। वादियागण को सुना गया। वादियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आगामी पत्रावली किया [illegible] वादिया को आगे नहीं [illegible] वादिया का वाद समाप्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर नकबर हो कर रहे तथा वाद [illegible] तौर पर खारिज हो।	

सत्यता

गीता देवी

पहचान—
P. C. Yadav

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:08:24 IST
Reason: SelfAttested